न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **278/15 (वाद)**

GCMS No. : 2015/00286

1. श्री भेरूजी स्थान देह शाश्वत नाबालिग जरिए वाद मित्र जयचन्द्र पिता विजयचन्द्र सामोता निवासी तहसील रोड नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

............वादी

बनाम्

1. श्रीमती लीलादेवी पत्नी मुकन्द कुमार सामोता निवासी जावड तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का जावड तहसील मावली।
3. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता वादी।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 27.01.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड तहसील मावली की आराजी नम्बर 1991, 1992, 2007, 2009, 2011, 2013 किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित हैं। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के पुराने नम्बर 1285, 1297, 1298, 1410 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा थे जो श्री भेरूजी की पूजा अर्चना करने के बदले में श्री भेरू जी स्थान देह के पुजारी चतरभुज पिता सवा जी गुर्जर को दी गई थी तथा उक्त भूमि पुजारी की हैसियत से उनके नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। श्री भेरूजी स्थान मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा इस मन्दिर एवं मन्दिर से जुडी हुई सम्पति के विकास, देखरेख एवं सार संभाल, सुरक्षा के लिए गांव के मौतबीरान ने मुझ वादी को अधिकृत कर रखा है जिस अधिकार से नाबालिग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

की ओर से जरिए वाद मित्र वाद पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुझ वादी द्वारा यह वाद माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

2. यह कि वाद में वर्णित कृषि भूमि के पुराने आराजी नम्बर 1285, 1297, 1298, 1410 थे जो श्री चतरभुज पिता सवा गुर्जर का नाम पुजारी की हैसियत से दर्ज थे क्योंकि उस समय श्री भेरूजी की पूजा अर्चना एवं सेवा चाकरी वगैरा पुजारी चतरभुज पिता सवा गुर्जर के द्वारा ही की जा रही थी और पूजा अर्चना के बदले खाने कमाने एवं उक्त जमीन से प्राप्त होने वाली आय से मन्दिर सम्बन्धित होने वाला खर्चा उठाकर मन्दिर की सुरक्षा करने के लिए उक्त कृषि भूमि को दे रखी है जिस पर मालिकाना हक श्री भेरूजी स्थान देह का ही चला आ रहा था किन्तु श्री चतरभुज के नाम उक्त भूमि पुजारी की हैसियत अंकित होने का नाजायज फायदा उठाते हुए चतरभुज के पुत्र श्री रोडा एवं श्री जीता ने सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत तरीके से श्री भेरूजी स्थान देह की कुलिया जमीन को अपने नाम पर दर्ज करवा ली और तत्पश्चात् श्री रोडा एवं श्री जीता ने उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से विक्रय कर दी जिससे वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो श्री भेरूजी स्थान देह के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है और इस अवैद्य परिवर्तन से श्री रोडा एवं श्री जीता को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है और न ही इससे श्री भेरूजी स्थान देह के स्वामित्व में कोई कमी आयी है क्योंकि श्री रोडा एवं श्री जीता के पूर्वज को उक्त भूमि श्री भेरूजी की सेवा चाकरी के बदले में खाने कमाने के लिए ही दी थी। वर्तमान में उक्त भूमि से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग श्री भेरूजी की सेवा पूजा में किया जा रहा हैं तथा उक्त भूमि पुनः श्री भेरूजी स्थान देह के नाम पर दर्ज कराने बाबत् भी कई बार सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये परन्तु आज दिन तक उक्त भूमि श्री भेरूजी स्थान देह के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो सकी। इसलिए मैं वादी इन्द्राज दुरूस्ती करा उक्त वर्णित कृषि भूमि को श्री भेरूजी स्थान देह की खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी है और प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटवाने का अधिकारी हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि उक्त मन्दिर के नाम की कृषि भूमि श्री रोडा एवं श्री जीता के पूर्वज को इस कारण सौंपी गई कि वह इस पर भगवान श्री भेरूजी की हैसियत से काश्त करे और इस काश्त से होने वाली आये मन्दिर में स्वयं सारा खर्चा चलावें। यह काश्त की आज्ञा जरिये श्री भेरूजी दी गई है इस मन्दिर की उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है तो वह भगवान द्वारा काश्त करना माना जावेगा। इस कारण काश्त करने वाले को किसी भी प्रकार के खातेदारी या मुखालपाना कब्जे के अधिकार प्रवृत नहीं होते हैं। मन्दिर मूर्ति नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त करना किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार खातेदारी के या अन्य प्रकार के प्रवृत नहीं होते है। श्री भेरूजी स्थान देह की उक्त भूमि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के खाते नहीं हो सकती हैं। इस भूमि पर अन्य कोई भी इन्द्राज भगवान के मुकाबले शुन्य निष्प्रभावी होकर बेअसर है। इस कारण उक्त भूमि पुनः श्री भेरूजी स्थान देह के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने के लिए यह वाद लाया गया हैं। वादी का प्राइमाफेसी केस है क्योंकि वाद वर्णित कृषि भूमि पूर्व में श्री भेरूजी स्थान देह के नाम पर अंकित थी जिसे श्री भेरूजी की सेवा पूजा के बदले में चतरभुज गुर्जर को दी गई है लेकिन श्री चतरभुज गुर्जर का नाम श्री भेरूजी स्थान देह की भूमि में पुजारी की हैसियत से नाम दर्ज हो जाने का फायदा उठाते हुए चतरभुज के पुत्रो श्री रोडा एवं श्री जीता ने रेवेन्यु ऐजेन्सी से साठ गाठ कर उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवा दी और उक्त भूमि को विक्रय कर हस्तान्तरित भी कर दी है जबकि इन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। वर्तमान में उक्त जमीन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर नाजायज लाभ प्राप्त करने पर आमादा हो रही है और उक्त भूमि पर कब्जा कर कारतामीर करने पर उतारू हो रही है और समझाने पर भी नही मान रही है जबकि इसे ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हू कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नही करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही हैं। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से वादी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मेरे पक्ष में हैं।

4. यह कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण प्रथम बार दिनांक 30.07. 2015 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय उदयपुर एवं संबंधित राजस्व अधिकारियों को उक्त भूमि पुनः राजस्व रेकार्ड में श्री भेरूजी स्थान दे हके नाम दर्ज करने हेतु नियमानुसार पंजीकृत सूचना पत्र भिजवाया जो प्रतिवादी संख्या 4 को प्राप्त हो गया उसके पश्चात् भी भूमि श्री भेरूजी स्थान देह के नाम दर्ज नही की तथा दिनांक 25.10.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित कृषि भूमि का इन्द्राज दुरूस्ती कर उक्त आराजीयात श्री भेरूजी स्थान देह के खातेदारी में घोषित फरमाई जाकर इसी अनुसार नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे और प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र में वर्णित आराजी को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करे, नुकसान नहीं पहूंचावे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करावें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करे, रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाए रखें। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 3 उक्त भूमि को हस्तान्तरित कर देवे अथवा मौके या राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करा देवे तो पुनः वाद संस्थिति की स्थिति रखाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादी किस हैसियत से वाद लाया है, किस विधि की पालना करते हुए न्यायालय में आया है तथा गांव की कौनसी अधिकृत स्वीकृति लेकर आया है इस बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये क्योंकि प्रतिवादी को भी नहीं मिले है। वादी का इस वाद में हित, अधिकार या दायित्व कैसे बनता है इस बारे मे भी वादी ने जरिये दस्तावेजी साक्ष्य के जाहिर नहीं किया हैं। इस प्रकार वादी को यह वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि नाबालिग की दशा में कौन न्यायालय की शरण किस रिति से लेगा इस पर विधि का अलग से विधान बना हुआ है। वादी मात्र प्रतिवादी पर दबाव बनाकर इस मुकदमें की आड लेकर नाजायज लाभ प्राप्त करना चाहता है और इसी आशय से वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व यह मिथ्या एवं झूठा मुकदमा आप न्यायालय में पेश किया हैं।

7. यह कि राजस्व अधिकारियों ने सेटलमेन्ट के दौरान गलत तरीके से खातेदारी कर दी तो उसकी राहत उस आदेश की अपील से मिलेगी, इस न्यायालय से नही। किसी आदेश की जानकारी होते ही प्रभावित पक्षकार का पहला कदम अपील है। इस प्रकार सेटलमेन्ट की जानकारी को देखते हुए वादी का वाद मियाद बाहर हैं। पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र पर क्या आदेश हुआ इस बारे में वादी ने नहीं बताया है जिससे जाहिर हो रहा है कि वादी क्लीन हेण्ड से वाद नहीं लाया हैं। रोडा एवं जीता को उक्त आराजीयात का कब्जा सौंपा और उन्होने ही कब्जा जरिये खातेदारी हैसियत से विक्रय पत्र का पंजीयन करवा कर कब्जा हस्तान्तरण किया है जो प्रतिवादी के पास ही चला आ रहा है अर्थात वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा मुझ प्रतिवादी के पास ही हैं। जिस दिन भूमि खातेदारी हक से रेकार्ड में दर्ज हो गई उसी दिन से खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गये व उसके पूर्वोत्तर अधिकार समाप्त हो गये। कब्जा मुझ प्रतिवादीया का ही है तथा उक्त जमीन मुझ प्रतिवादीया के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है और जमीन खातेदारी हक से दर्ज होने से प्राइमाफैसी केस भी मुझ प्रतिवादीया के पक्ष में ही है, सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मुझ प्रतिवादीया के पक्ष में ही हैं। [illegible] मुझ प्रतिवादीया के विरूद्व किसी भी आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

जारी नहीं होने से वादी को कोई नुकसान नहीं होगा वरन यदि मुझ प्रतिवादीया के विरुद्व किसी भी आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो मै प्रतिवादी अपने जायज हक अधिकारो से महरूम हो जाऊंगी और मुझ प्रतिवादीया को जो क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में नही आंका जा सकेगा। मैं प्रतिवादीया खातेदार हूं और मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं जिसमें वादी व्यवधान पैदा कर मुझे मेरी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी पैदा कर तंग व परेशान कर कब्जा करने की निरन्तर कोशिश करता आ रहा है। इसलिए मुझ प्रतिवादीया को इन्हे उक्त कृत्य करने से रोकने के लिए इनके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना नितान्त आवश्यक है जिसके लिए काउन्टर वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादी को मेरे विरूद्व दिनांक 30.07.2015 एवं 25.10.2015 को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। वादी ने महज वाद करने के लिए मिथ्या वाद कारण का अंकन किया हैं।

8. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पूर्व के खातेदार रोडा व जीता पिता चतरभुज गुर्जर के नाम पर दर्ज थी जिन्होने दिनांक 27.12.1963 को उदयलाल पिता खेमराज जी सामोता को विक्रय की थी जिस पर एक वाद असिसटेन्ट सेटलमेन्ट अधिकारी उदयपुर के यहां चला था जिसमें न्यायालय में पूर्ण रूप से विचारण होकर आदेश दिनांक 03.02.1970 को न्यायालय आदेश से उदयलाल के नाम पर उक्त भूमि खातेदारी हक से दर्ज की गई थी। इस प्रकार इस आराजीयात बाबत् पूर्व में भी न्यायालय में वाद चलकर पूर्ण विचारण होकर फैसला हो गया है। इस प्रकार यह पश्चातवर्ती वाद चलने योग्य नहीं है और यह वाद रेस ज्युडिकेटा के सिद्धान्त से भी प्रतिबंधित हैं। असीसटेन्ट सेटलमेन्ट अधिकारी उदयपुर के आदेश की अपील के उच्चतर न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध है जिस कारण भी यह वाद चलने योग्य नहीं हैं। उदयलाल के वारिसों ने उक्त भूमि प्रेमसिंह को बिकाव की तथा प्रेमसिंह से उक्त भूमि मुझ प्रतिवादीया ने खरीदी जिससे प्रतिवादीया को खातेदारी हक मिले। इस प्रकार खातेदार के खिलाफ स्टे जारी नहीं किया जा सकता हैं।

9. काउन्टर वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड की आराजी नम्बर 1991, 1992, [illegible], [illegible], 2011, 2013 किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर स्वतन्त्र रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rupnadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

से राजस्व जमाबन्दी में अंकित हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की क्रयसुदा होकर इसके नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है और प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार कब्जा कभी भी नहीं रहा है और उक्त कृषि भूमि का निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करती आ रही है और इस भूमि की सुरक्षा के लिए चारो तरफ पत्थर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया हुआ हैं लेकिन वादी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि में दखलन्दाजी करता है और प्रतिवादी संख्या 1 को उसके स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने दे रहा है और निरन्तर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को मेरी उक्त भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल कर कब्जा करने की ऐलानिया धमकीया दे रहा है इसलिए वादी के विरूद्व मै प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हैं।

10. यह कि मुझ प्रतिवादीया का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि काउन्टर वाद में वर्णित आराजीयात की प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 अपने परिवारजनों सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और भूमि की सुरक्षा के लिए पत्थर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण भी कराया है जिसमें वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है। फिर भी वादी नाजायज रूप से मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को तंग परेशान कर मेरी खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर मेरे को बेदखल करने पर आमादा हो रहा है जबकि वादी को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिए मै प्रतिवादी संख्या 1 वादी के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी हूं कि वादी काउन्टर वाद पत्र में वर्णित मुझ प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, न निर्माण करे, प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से वादी को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रतिवादी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हमारे पक्ष में है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pipada
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

क्योंकि प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार हैं। वादी के विरूद्व काउन्टर वाद पत्र कारण वादी द्वारा उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

11. अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एवं वादी के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादी काउन्टर वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी हक की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करें, प्रवेश नहीं करे, प्रतिवादी को उसकी खातेदारी हक की कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें।

12. प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के काउन्टर वाद पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड की आराजी नम्बर 1991, 1992, 2007, 2009, 2011, 2013 किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व जमाबन्दी में अवश्य दर्ज है परन्तु उक्त आराजीयात पूर्व में भेरूजी स्थान देह के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से अंकित चली आ रही थी जिसे राजस्व रेकार्ड में राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर गलत तरीके से नामान्तरकरण खुलवाकर अंकित करा दी है जो भेरूजी स्थान देह के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी हैं।

13. यह कि पूर्व में उपरोक्त कृषि भूमि श्री चतरभुज पिता सवा गुर्जर के नाम पर पुजारी की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी क्योंकि उस समय श्री भेरूजी की पूजा अर्चना एवं सेवा चाकरी वगैरह पुजारी चतरभुज पिता सवा गुर्जर के द्वारा ही की जा रही थी और पूजा अर्चना के बदले खाने कमाने एवं उक्त जमीन से प्राप्त होने वाली आय से मन्दिर सम्बन्धित होने वाले खर्च उठाकर मन्दिर की सुरक्षा करने के लिए उक्त कृषि भूमि को दे रखा था जिस पर मालिकाना हक भी भेरूजी स्थान देह का ही चला आ रहा था किन्तु चतरभुज के नाम पर उक्त भूमि पुजारी की हैसियत से अंकित होने का नाजायज फायदा उठाते हुए चतरभुज के पुत्र श्री रोडा व श्री जीता ने सेटलमेन्ट के दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत एवं साठ गाठ कर गलत तरीके से श्री भेरूजी स्थान देह की कुलिया जमीन को अपने नाम पर दर्ज करवा दी और तत्पश्चात् श्री रोडा एवं श्री जीता ने नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से उक्त भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द कर दी जिससे वर्तमान में उक्त भाूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है परन्तु मौके पर न तो बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है और न ही प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि के इन्च मात्र भू भाग पर भी कभी कब्जा उपयोग उपभोग नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है। ऐसी अवस्था में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को इस भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की ऐलानिया धमकीया देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। केवल मात्र उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अंकित है जिसकी आड लेकर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भेरूजी स्थान देह की जमीन पर कब्जा कर हडपना चाह रही है और इसी बदयान्ति से प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो किसी भी अवस्था में चलने योग्य नहीं है और प्रतिवादी संख्या 1 वादी के विरूद्व किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की भी अधिकारीणी नहीं हैं। प्रतिवादीया का किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला नहीं है क्योंकि उक्त भूमि भेरूजी स्थान देह की होकर मालिकाना हक भी भेरूजी स्थान देह का ही निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है और इसी भूमि पर भेरूजी का मन्दिर बना हुआ हैं जिस पर गांव के लोग पूजा अर्चना करते आ रहे है तथा खाली पडी जमीन पर गांव के मवेशी चरते विचरते आ रहे हैं। वैसे भी मन्दिर मूर्ति नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त करना किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार खातेदारी के या अन्य प्रकार के प्रवृत नहीं होते है। इन श्री भेरूजी स्थान देह की उक्त भूमि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के खाते नहीं हो सकती है। इस भूमि पर अन्य कोई भी इन्द्राज भगवान के मुकाबले शून्य निष्प्रभावी होकर बेअसर है। मौके पर न तो प्रतिवादीया की कोई कब्जा काश्त कभी रहा है। ऐसी अवस्था में जब प्रतिवादीया का कब्जा ही नहीं रहा है तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। सुविधा संतुलन भी प्रतिवादीयां के पक्ष में नही है और अ[illegible] क्षति का बिन्दु भी प्रतिवादीया के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादीयां वादी के विरूद्व किसी भी प्रकार की स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं हैं। प्रतिवादीया को कभी कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही निरन्तर जारी हैं। वादी के मुकाबले प्रतिवादीया को काउन्टर क्लेम से कोई दाद प्राप्त नहीं होती है और न ही वह वादी के विरूद्व किसी प्रकार की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीया का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा वादी का वाद मय हर्जा खर्चा स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावें।

14. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :—

1. आया वादग्रस्त भूमि के पुराने नम्बर 1285, 1297, 1298, 1410 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि पूर्व में भेरूजी स्थान की होने से पुजारी चतरभुज को दी गई थी व पुजारी की हैसियत से दर्ज थी। चतरभुज के पुत्र रोडा व जीता ने सेटलमेन्ट के दौरान मिलीभगत कर भूमि अपने नाम दर्ज करा प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दी जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था। भूमि पुनः वादी के नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

   ....जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है।

   ....जिम्मे वादी

3. वादग्रस्त भूमि को पूर्व खातेदार रोडा, जीता ने 27.12.63 को उदयलाल पिता खेमराज सामोता को विक्रय की थी, जिस पर एक वाद असिस्टेन्ट सेटलमेन्ट अधिकारी उदयपुर के यहां चला जो पूर्ण विचारण हो कर दिनांक 03.02.70 को न्यायालय आदेश से उदयलाल के नाम दर्ज हुई। इस आराजीयात बाबत् पूर्व में भी न्यायालय में वाद पूर्ण विचारण होकर फैसला हो गया है। अतः उक्त पश्चात्वर्ती वाद चलने योग्य नहीं हैं। वाद रेसज्युडीकेटा के सिद्वान्त में प्रतिबंधित हैं।

   ....प्रतिवादी संख्या 1

4. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर होकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि की [illegible] बना उपयोग उपभोग कर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

हैं। अतः वादी दखलन्दाजी करने से प्रतिवाद के माध्यम से वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

............प्रतिवादी संख्या 1

15. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री जयचन्द्र, पीडब्ल्यू 2 श्री हमेरलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री किशनलाल, पीडब्ल्यू 4 श्री छगनलाल के शपथ पत्र पेश किये।

16. प्रतिवादी संख्या 1 की और से प्रार्थना पत्र तलबी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रावली में पेशी दिनांक 13.02.2025 नियत है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 अब उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहती है, यदि न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया को कोई आपत्ति नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हस्तगत पत्रावली सिगे से तलब फरमा फैसल किया जाने का आदेश प्रदान करें।

17. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है तो उभय पक्षो कोई आपत्ति नही है।

18. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा जावड की जमाबंदी महक्मा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 1285, 1297, 1298, 1410 किता 4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि भेरूजी स्थान देह के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज थी। चतरभुज वल्द सवा गूजर का नाम पुजारी की हैसियत से दर्ज था। ग्राम जावड़ की जमाबंदी संवत 2024–2027 में भी उक्त साबिक आराजीयात भेरूजी स्थान देह के नाम दर्ज थी। परन्तु भू–प्रबंध विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि को चतरभुज पिता सवा गुजर के नाम वादग्रस्त भूमि को मानते हुए रोड़ा, जीवा पिता चतरभुज के नाम दर्ज कर दी तथा उसके पश्चात रोड़ा, जीवा के नाम पर लाईन खिंचकर उसके स्थान पर उदयलाल पिता खेमा अंकित कर दिया गया। साथ ही भू–प्रबंध विभाग द्वारा हाल आराजी नम्बर 1991, 1992, 2007, 2009, 2011, 2[illegible] 6 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा बनाए गए। उयलाल पिता [illegible]राज की [illegible]यु होने के पश्चात उक्त वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

भूमि ओमप्रकाश, मनोरमादेवी, भाग्यवती, पुष्पा देवी पिता उदयलाल महाजन के नाम दर्ज हुई। हक त्याग से सम्पूर्ण भूमि ओमप्रकाश पिता उदयलाल महाजन के नाम दर्ज हुई। ग्राम जावड़ के नामान्तरकरण संख्या 1368 अनुसार ओमप्रकाश पिता उदयलाल महाजन द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय प्रेमसिंह पिता भोपालसिंह को कर दिया। नामान्तरकरण संख्या 1392 अनुसार प्रेमसिंह पिता भोपालसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लीला देवी पत्नी मुकुन्द कुमार सामोता को कर दिया।

न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि जमाबंदी महक्मा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ के अनुसार भेरूजी स्थान देह के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज थी। चतरभुज वल्द सवा गूजर का नाम पुजारी की हैसियत से दर्ज था। ग्राम जावड़ की जमाबंदी संवत 2024–2027 में भी उक्त साबिक आराजीयात भेरूजी स्थान देह के नाम दर्ज थी। भू–प्रबंध विभाग को पूर्व की भांति वादग्रस्त भूमि भेरूजी स्थान देह के नाम ही दर्ज करनी चाहिए थी। परन्तु भू–प्रबंध विभाग द्वारा ऐसा नही कर उदयलाल पिता खेमराज डांगी के नाम दर्ज कर दी गई। भेरूजी स्थान देह नाबालिग के हक अधिकारो समाप्त कर दिया गया। बिना किसी सक्षम आदेश के भू–प्रबंध विभाग को खातेदारी अधिकार समाप्त करने के अधिकार नही है। वर्तमान खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी वादी के वाद को स्वीकार कर डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। इससे भी स्पष्ट है कि वर्तमान खातेदार द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि भेरूजी स्थान देह के नाम ही खातेदारी अधिकार से दर्ज थी। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा जावड़ पटवार हल्का जावड़ तहसील मावली हाल तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 372 पर दर्ज आराजी नम्बर 1991, 1992, 2007, 2009, 2011, 2013 किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लीला देवी पत्नी मुकुन्दकुमार के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

है के बजाय वादी भेरूजी स्थान देह शाश्वत नाबालिग को खातेदार घोषित किया जाता है।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री भेरूजी स्थान देह शाश्वत नाबालिग जरिए वाद मित्र जयचन्द्र पिता विजयचन्द्र सामोता निवासी तहसील रोड नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

............वादी

बनाम्

1. श्रीमती लीलादेवी पत्नी मुकन्द कुमार सामोता निवासी जावड तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का जावड तहसील मावली।
3. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

मुकदमा न0 : 278 / 15 (वाद) GCMS No. – 2015 / 00286

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा जावड़ पटवार हल्का जावड़ तहसील मावली हाल तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 372 पर दर्ज आराजी नम्बर 1991, 1992, 2007, 2009, 2011, 2013 किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लीला देवी पत्नी मुकुन्दकुमार के नाम दर्ज है के बजाय वादी भेरूजी स्थान देह शाश्वत नाबालिग को खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:11 IST
Reason: SelfAttested